NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
Plot No.24, Industrial Area Phase-9
Regional Office:Mohali-Chandigarh
Ph No.0172-2214388/2215388

No.1 (10) Admn/NSC/CH/20-21 Dated: 26-04-2021

SHORT TENDER NOTICE

`

Sealed tender are invited from reputed Labour contractors for the year 2021-22 towards attending Seed Processing work at our Processing Plants Jalandhar and Bhatinda. The tender documents along with terms and conditions are obtainable from Bhatinda and Jalandhar offices on payment of Rs. 590/-per set. Tender documents can also be downloaded from NSCs website www.indiaseeds.com and www.eprocure.gov.in. w.e.f 28.04.2021. In such cases the tenderer has to deposit D.D. of Rs. 590/- payable at NSC Ltd Mohali .Sealed tender duly filled in will be received at NSC C-25, Focal Point Bypass Industrial Area, Jalandhar up to 1.00 P.M. on 03-05-2021 which will be opened at 2 P.M. on same date in the presence of tenderers or their authorized representative, if any. The undersigned reserves the right to reject/accept any tender without assigning any reasons. Any addition/deletion will be uploaded on our Website.

Regional Manager

बीज प्रक्रिया संयत्रों का श्रमिक ठेकेदारों की नियुक्ति के लिये
शर्ते एंव विस्तृत विवरण **वर्ष** 2021-22

1 श्रमिक ठेकेदार का अपना श्रमिक कार्य लाईसैंस, ई0 एस0 आई / ई पी एफ कोड न0 / पैन कार्ड /जी0एस0टी न0 होना आवश्यक है जिसका पूर्ण विवरण संलग्न करना होगा ।

2. निविदादाता जिन्होनें दिनांक 07.04.2021 की निविदा में भाग लिया था उनकी धरोहर राशि रू:30,000/-.(तीस हजार रुपय) 03.05.2021 की निविदा में मान्य होगी । सफल निविदादाता को कार्य करने से पहले रुपये :50000/. (रूप्ये पचास हजार जमानत राशि के रुप में जमा करने होंगें जिस पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा तथा रू: 100 / -. के नान ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर एक अनुबंध करना होगा ।

3 खरीफ / रबी जायद संसाधन के दोरान ठेकेदार को बीज संसाध्न केन्द्र/गोदामों में प्रति सप्ताह स्प्रे तथा समय समय पर संसाधन केन्द्र/ मशीनो , गोदामों तथा डस्ट कलस्टर से एकत्रित धूल / कचरा की सफाई करनी होगी । प्लान्ट इन्चार्ज / प्रक्षेत्र प्रबन्धक सत्यापन के बाद ही ठेकेदार के बिलों का भुगतान होगा । ए

4 ठेकेदार को भुगतान बीज की अन्तिम रुप से पैक की गई मात्रा पर ही किया जायेगा न कि अप्रक्रियावृत बीज (Raw Seed) मात्रा पर ।

5 ऐंसी स्थिति में जहां ठेकेदार को अप्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष पैकिंग के लिये भुगतान किया जायेगा उस स्थिति में उसे दो बार से भुगतान देय होगा अर्थात भुगतान उस मात्रा पर देय होगा जो संसाद्यन के बाद 50 कि0ग्रा0 पैकिगं में प्राप्त होगी और दूसरा भुगतान अन्तिम रुप से पैक की गई मात्रा पर देय होगा ।

6 प्रति घ्ंटा औसत ग्रेडिंग व पैकिंग की मात्रा कम से कम 3 टन सुनिश्चित करना एंव 3 टन से कम करने पर बिल का 10 प्रतिशत पैनलटी लगाई जाएगी इसका कडाई से पालन करें ।

7 ठेकेदार को वह सभी अभिलेख (Record) रखने होगें जो फैक्टरी एक्ट 1948 मजदूर अधिनियम के अर्न्तगत आवश्यक हैं । इस प्रकार के अभिलेख न रखने पर यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी न कि निगम की । ठेकेदार द्वारा लगाई गई लेबर का पूर्ण विवरण नाम, पत्ता,पिता का नाम, आयु इत्यादि अपने हाजरी रजिस्टर में रखना होगा तथा लगाई गई लेबर की रोज़ हाजरी निगम के अधिकारी/प्लान्ट इंचार्ज से चैक कराना होगा ।

8 निगम के कार्य में लगाये गये मज़दूरो के वेतन सें ई एस आई/ भविय निधि अंशदांन की वसूली करना एंव इस राशि की अन्य अशंदान/ करों को नियमानुसार ई / एस आई/ भविय निधि में जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । । ऐंसा ना करने पर निगम कर्मचारी व नियोक्ता दोनो की ई एस आई/ भविय निधी अशंदान की कटौती ठेकेदार के बिलों के भुगतान से कर ली जायेगी। सामुहिक बीमा योजना के अधीन अग्रिम राशि का भुगतान प्रति लेबर प्रति र्वा प्रशासनिक शुल्क का भुगतान ठेकेदार को नियमानुसार करना होगा ।

9. समय समय पर आवश्यकतानुसार व निगम के निर्देशनुसार ठेकेदार को बीज के बोरों/ सामान के चटटे लगवाने होंगे । बोरों की गिनती करना, बंडल लगाना/बनाना एंव अन्य पैकिगं युक्त सामान को सुव्यवस्थित करना तथा चटटा लगाना आदि सभी कार्य ठेकेदार को करने होंगे ।

10 आयकर समय समय पर जो भी लागू होगा उसका भुगतान ठेकेदार के बिलों में से काटा जायेगा ।

11 बीज प्रक्रिया प्रभारी/प्रक्षेत्र प्रबन्धक द्वारा बिलों की पूर्ण जाचं, आयकर , ई0 एस0आई भविष्य निधि इत्यादि की वसूली सुनिश्चित होने / करने के बाद बिलों का भुगतान आर0टी0जी0एस के माध्यम से क्षे0 का0 द्धारा किया जायेगा ।

12 धूप से बीजों को उनके न्यूनतम आर्हता स्तर तक सुखने की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी ।

13 बीजों की प्रत्यक्ष पैकिंग के लिये ठेकेदार को अप्रक्रियाकृत (Raw Seed) बीजों की मशीन तक पहुचाने से ले कर बीजों की अन्तिम पैकिंग 2 किलोग्राम से 40 किलो ग्राम की पैकिंग करना , बीजाउपचार करना अथवा फफुंद नाशक का पैकिट बना कर बीज के थेलों में रखना, टैग लेबलों व थैलों पर सभी वांछनीय जानकारी लिखना , टैग लेबल लगा कर सिलाई करना,सील लगाकर व प्लायर से दबाना, प्रत्येक कृाक का फसल किस्तावार/अन्डरसाईज बीज का एकद्व करना, बोरें मे डाल कर तुलाई करना, बोरो पर लाट क्रमांक वजन इत्यादि लिखना व सिलाई करना दोनो अन्डरसाईज व प्रक्रियाकृत बीजों को कृाकवार लाट वार स्टैक लगाना तथ बीज से खाली हुए सभी बोरों को साफ कर 50-50 के बन्डल बना कर निर्देशित स्थान पर रखना इत्यादि । मंद संख्या 4 एंव 5 की बीज प्रक्रिया की दरों से अप्रक्रियाकृत बीज (Raw seed) को मशीनो पर पहुचाने स्टैक लगाने, छानन (undersize) बीज को मशीनों से उठाकर प्रक्रिया संयत्र के

बाहर निगम के परिसर में लगाने अथवा किराये पर लिये गये प्रक्रिया संयत्र से 150 फुट पर लगाने की दरें सम्मिलित हैं। इस कार्य का अलग से कोई पैसा नहीं दिया जायेगा।

14 विधायन संयत्र परिसर स्थित भंडार ग्रह अथवा नजदीकी भंडार ग्रह से बीज उठाकर बीज विधयन संयत्र तक लाना ग्रेडिंग करना ग्रेडिंग केबाद बजन करके निर्देशानुसार जूट बैग मे स्टैण्डर्ड पैकिंग में पैक कर सिलाई करना व बताये गए स्थान पर (विधायन केन्द्र परिसर में अथवा नजदीकी भंडार ग्रह) चटा /स्टैकिंग लगाना/सूतली एंव जूट बैग निगम द्वारा दिए जाऐंगे ।

15 ठेकेदार की प्रक्रिया संयत्र पर प्रक्रिया प्रभारी /प्रक्षेत्र प्रबंधक के निर्देशानुसार प्रक्रिया कार्य के लिये प्रयाप्त श्रमिक उपलब्ध कराने होंगे। कार्य के लिये प्राप्त श्रमिकों की पुर्ति करने में असफल होने की दशा में निगम का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्रचलित दरों पर जो समय समय पर परिवर्तित होती रहती हैं श्रमिकों को लगातार कार्य करांए एंव लगाये गये मजदूरों की मजदूरी व सर्विस चार्ज /ठेकेदार के बिलों/जमानत राशि से काट ली जायेगी। संतोाजनक कार्य ना होने पर या समय पर लेबर उपलब्ध न कराने पर जिससे निगम के काम में बाधा आए ठेकेदार को 7 दिन का नोटिस देकर ठेका निरस्त किया जा सकता है तथा इसके साथ साथ धरोहर राशि भी जब्त की जा सकती है ।

16 जब निगम की प्रक्रिया संयत्र के अलावा बीज को एक गोदाम से दूसरे गोदाम में जो एक ही नगरपालिका में स्थित है पहुचांना है तो बीजों/सामान को लोड करवाने परिवहन करने, उतरवाने, स्टैक लगाने हेतु प्रर्याप्त संख्या में ट्रकों व श्रमिकों की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी। बीज सामान परिवहन के दौरान यदि बीज अथवा सामान खराब हो जाता है या टूट जाता है तो इसके लिये ठेकेदार पुर्ण रुप से जिम्मेदार होगा एंव निगम द्वारा तय की गई सामान की कीमत की वसूली ठेकेदार के बिलों /जमानत राशि से काट ली जाएगी अगर राशि अधिक हो तो इसका भुगतान ठेकेदार को डिमांड ड्राफट द्वारा निगम को करना होगा ।

17. प्रक्रिया प्रभारी / प्रक्षेत्र प्रबन्धक के निर्देशानुसार ठेकेदार को पर्याप्त संख्या में बीज/सामान परिवहन के लिये ट्रकों व श्रमिकों की पूर्ति करनी होगी। ऐंसा ना करने पर व असफल होने पर आवश्यकतानुसार निगम ट्रकों व श्रमिकों की व्यवस्था कर लेगी एंव इस कार्य में हुये खर्च की वसूली ठेकेदार के बिलों /जमानत राशि से कर ली जायेगी ।

18 ठेकेदार को यह निश्चित करना होगा कि गोदाम से बीज उठाते समय कटा फटा क्षतिग्रस्त बोरा ना उठाया जाये और ना ही ट्रक में लोड किया जाये ।

19 ठेकेदार द्वारा कार्य पर लगाये गए श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान प्रतिमाह समय समय पर करना अनिवार्य है अन्यथा ठेकेदार के बिल से श्रमिको की मजदूरी की राशि काट कर दी जायेगी ताकि किसी प्रकार के श्रमिक वाद विवाद से बचा जा सके ।

20. ठेकेदार को प्लांट मशीनरी का ज्ञान होना चाहिए जिससे समय पर कार्य ठीक प्रकार से चलता रहे ।

21 किसी भी प्रकार की आपत्ति विवाद अनुबन्ध की कार्यनवित होने के संबध में अथवा उसके समाधान की स्थिति में उत्पन्न होता है तो यह सोल आरबीट्रेटर को सोंपा जायेगा जो कि निगम का अध्यक्ष एंव प्रबंध् निदेशक या उच्चतम अधिकारी स्वय भी सोल आरबीट्रेटर का कार्य करने में सक्षम होगा । इस अनुबंध के अर्न्तगत ठेकेदार को कोई एतराज़ नहीं होगा कि अध्यक्ष या आरबीट्रेटर जैसा कि ऊपर नियुक्त किया गया हे यह व्यक्ति है जिसने मामले को डील किया है अपने विचार प्रकट किये है या अपनी विचार भिन्नता व्यक्त की है । दोनो पक्ष् इस बात पर राजी है कि यदि आरबीट्रेटर / अध्यक्ष किन्ही कारणो से पद त्याग देता है या आरबीट्रेटर के रुप में कार्य करने से मना कर देता है ।

22 उपरोक्त दी गई शर्ते श्रमिक ठेकेदार को अनिवार्य रुप से मान्य होगी संबध उन्ही से नियमित होगा ।

23 मोहरबन्द निविदाएं दिनांक 03-05-2021 ने.सी.का. लि. सी. 25 फोकल प्वांईट औद्योगिक क्षेत्र जालन्धर में 2.00 बजे खोली जांएगी ।

24. अगर जी0एस0टी कोई देय बनता है तो वह ठेकेदार द्वारा दिए गये रेट में इनकलूसिब (शामिल) माना जाऐगा तथा ठेकेदार अपने बिल में जी0एस0टी की राशि अलग से दर्शायेगा ।

25. पिछले स्टाक (कैरी ओवर स्टाक) की रीग्रेडिंग एंव पैकिंग : कैरी ओवर स्टाक की स्टाक में से लाट वार छंटाई करना बीजों के बैग को खोलना इसकी ग्रेडिंग एंव यदि आवश्यक हो तो बीज का ट्रीटमैंट (उपचारित) करना एंव बीज को निगम के मानदण्डों के अनुसार पैक करना एंव बीज के बैगों को लाट वार विधायन केन्द्र में या भंडार ग्रह में स्टैकिंग करना (चटा लगाना) ।

26. लेबर ठेकेदार द्वारा लोडिंग/अनलोडिंग की बजन (Weighment) की शीट भी बिल के साथ क्षे0का0 को प्रेषित करनी होगी ।

क्रम सं०	कार्य का विवरण	दर (रूपये प्रति कु०
1.	एक ही परिसर के अंदर से बीज विधायन सयंत्र तक बीज/सामान का परिवहन,लोडिंग/अनलोडिंग सहित। (लेकिन गोदाम के अंदर 150 फुट से ज्यादा की दूरी पर लागू होगा) i) गोदाम से 5 किलो मीटर की दर (1 से 5.99 किलो मीटर तक दर) ii) गोदाम से 6-10 किलो मीटर की दर	
2.	एक ही परिसर मे स्थित विभिन्न गोदामों में बीज/सामान को शिफ्ट करना।	
3.	प्रत्यक्ष पैकिंग (Direct grading & Packing) (नियम एवं शर्तें क्रम सं० 13 देखे)	
i	पैकिंग साइज़ 0-2 किलो तक	
ii	पैकिंग साइज़ 3-5 किलो तक	
iii	पैकिंग साइज़ 6-10 किलो तक	
iv	पैकिंग साइज़ 11-20किलो तक	
v	पैकिंग साइज़ 21-30 किलो तक	
vi	पैकिंग साइज़ 31-40 किलो तक	
4-क	अप्रत्यक्ष पैकिंग(Indirect Packing) ग्रेडिंग एवं बल्क पैकिंग (नियम एवं शर्तें क्रम सं० 14 देखे)	
i	पैकिंग साइज़ 0-2 किलो तक	
ii	पैकिंग साइज़ 3-5 किलो तक	
iii	पैकिंग साइज़ 6-10 किलो तक	
iv	पैकिंग साइज़ 11-20किलो तक	
v	पैकिंग साइज़ 21-30 किलो तक	
vi	पैकिंग साइज़ 31-40 किलो तक	
vi	पैकिंग साइज़ 41-50 किलो तक	
4-ख	ग्रेडिड बीज (बल्क बीज) से प्रत्यक्ष पैकिंग (Direct Packing)(नियम एवं शर्तें सं० 13 एवं 14 देखे)	
i	पैकिंग साइज़ 0-2 किलो तक	
ii	पैकिंग साइज़ 3-5 किलो तक	
iii	पैकिंग साइज़ 6-10 किलो तक	
iv	पैकिंग साइज़ 11-20किलो तक	
v	पैकिंग साइज़ 21-30 किलो तक	
vi	पैकिंग साइज़ 31-40 किलो तक	
5.	बीज/सामान ट्रक/ट्राली आदि में लोड/अनलोड करना ।	
6.	खरीफ सीजन में उत्पादित बीजों को धूप में उचित नमी तक सुखाई करना (बीजों को गोदाम में सुखाने के स्थान तक लाना व ले जाना आदि।	
7.	बीजों को पुनः वैधीकरण करना बीजों को लॉट वाईज करना एवं वैधीकरण की मोहर लगाना तथा पुनः स्टैक लगाना।	
i	पैकिंग साइज़ 0-2 किलो तक	
ii	पैकिंग साइज़ 3-5 किलो तक	
iii	पैकिंग साइज़ 6-10 किलो तक	

iv	पैकिंग साइज़ 11-20 किलो तक	
v	पैकिंग साइज़ 21-30 किलो तक	
vi	पैकिंग साइज़ 31-40 किलो तक	
8.	बीजों को पुनः वैधीकरण (Revalidation) के अंतर्गत नई थैलियाँ बनाना, भरना, टैग,लेबल, सिलाई,सील लगाना तथा थैलियों को बोरियों में भरना और पुनः स्टैक लगाना।	
i	पैकिंग साइज़ 0-2 किलो तक	
ii	पैकिंग साइज़ 3-5 किलो तक	
iii	पैकिंग साइज़ 6-10 किलो तक	
iv	पैकिंग साइज़ 11-20 किलो तक	
v	पैकिंग साइज़ 21-30 किलो तक	
vi	पैकिंग साइज़ 31-40 किलो तक	
9.	बीज लॉट की स्टैक की तुड़ाई करना, लॉट वाईज बीजों की छटाई करना एवं उसी गोदाम में स्टैक लगाना(Segrigation)।	
10.	खाली बोरियों/खाली कटों/बारदाना की छटाई गिनती करना एवं 50-50 के बंडल बनाना तथा स्टैक लगाना। (दर प्रति बंडल)	
11°	समय-2 पर गोदाम में बीजों का Fumigation करवाना, दवाई डालना, कवर को बीज पर डालना,मिट्टी कवर पर लगाना इत्यादि। Fumigation के बाद कवर को उठाना तथा मिट्टी इत्यादि साफ करना (प्रति कुवन्टल की दर से)	
12.	केरी ओवर स्टॉक को पुनः ग्रेडिंग व पैकिंग करना (नियम एवं शर्तें क्रम सं० 25 देखे)	
i	पैकिंग साइज़ 0-2 किलो तक	
ii	पैकिंग साइज़ 3-5 किलो तक	
iii	पैकिंग साइज़ 6-10 किलो तक	
iv	पैकिंग साइज़ 11-20 किलो तक	
v	पैकिंग साइज़ 21-30 किलो तक	
vi	पैकिंग साइज़ 31-40 किलो तक	
13.	सर्टिफिकेशन एवं पैकिंग मैटिरियल की लोडिंग/ अनलोडिंग करना।	
i	क्लॉथ/एच०डी०पी०ई० बैग/ कैमिकल ड्रम/बैग/ बंडल/ बेल्स 20 किलो से 50 किलो तक	
ii	क्लॉथ/एच०डी०पी०ई० बैग/ कैमिकल ड्रम/बैग/ बंडल/ बेल्स 51 किलो से 100 किलो तक	